कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– टीसीबी/2022/ 159 दिनांक :– 07-06.22

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 20 मई, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे डॉ. इन्द्रजीत यादव, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विस्तृत विचार विमर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

एजेण्डा संख्या 1 :– गत बैठक दिनांक 23.09.2021 का कार्यवाही विवरण दिनांक 18/11/2021 को जारी किया जाकर सम्बन्धित सभी को प्रेषित किया जा चुका था। अतः समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों की विभागवार पालना रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा कर निर्णयो की पुष्टि की गई ।

एजेण्डा संख्या 2 :– कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायत जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट :–

1. यातायात सुधार हेतु विभिन्न स्थलों पर गति सीमा, पार्किंग/नो–पार्किंग, नो–एन्ट्री, ऑटो–रिक्शा/ बस/कार–जीप स्टेण्ड एवं दिशा सूचक बोर्ड लगवाने बाबत्।

   निर्णय :– जोधपुर शहर में व्यवस्थित यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑटो रिक्शा/लोडिंग टैक्सी, कार–जीप टैक्सी स्टेण्ड, पार्किंग/नो–पार्किंग स्थल, गति सीमा एवं विभिन्न यातायात निर्देशों के बोर्ड लगाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा पूर्व में प्रस्तुत सूची अनुसार जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है, वही विभाग उक्त दिशा/स्थल सूचक बोर्ड अविलम्ब लगवाया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। शहर में ट्रैफिक सिग्नल सिन्क्रोनाइजेशन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम (उतर/दक्षिण) एवं सा.नि.वि. (एन.एच.) को गत बैठक में आवश्यक कार्यवाही कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उक्त रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया। नई सड़क पर पार्किंग हेतु डबल लाईन अंकित है, जिस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम–उत्तर, उपायुक्त–पुलिस (यातायात) एवं अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. की कमेटी गठित कर निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण का परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिवस में पेश करें। अधिशाषी अभियन्ता–मुख्यालय, जोविप्रा ने अवगत करवाया कि प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्राधिकरण द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों हेतु निविदा हो चुकी है।

2. जोधपुर शहर में निर्धारित ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटना निवारण के उपायों पर चर्चा।

<u>निर्णय</u> :– पुलिस उपायुक्त (यातायात एवं मुख्यालय) ने अवगत करवाया कि जोधपुर शहर में 22 दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा विभागवार संबधित ब्लैक स्पोट्स की सूची प्रदत्त की है, उन ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटनाओं के निवारण हेतु जो उपाय सुझाये गये है उन पर सम्बन्धित विभाग अविलम्ब कार्यवाही करें। निर्माणाधीन रिंग रोड के कारण सम्भावित दुर्घटना स्थलो का जल्द निस्तारण करने हेतु एन.एच. ए.आई. को पाबंद किया जाये तथा कोताही पर विभाग की जिम्मेदारी तय की जाये । एन.एच.ए.आई. के विभागीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी व्यक्त की तथा आगामी बैठक मे अधीक्षण अभियन्ता की उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया । इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात (प्रशासन) जोधपुर, अधिशाषी अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जिला परिवहन अधिकारी (द्वितीय प्रवर्तन), जोधपुर, अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला खण्ड (द्वितीय) तथा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड रा.उ.मा. जोधपुर की संयुक्त टीम का गठन किया हुआ है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात ने अवगत करवाया कि उक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा प्रत्येक प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान के लिए घटना स्थल का निरीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है तथा उक्त दुर्घटना स्थल के बारे में बताई गई कमियो को सम्बन्धित विभाग द्वारा दुरूस्त किया जा रहा है। अतः दुर्घटना निवारण उपायों पर विस्तार से चर्चा कर बिन्दुवार सम्बन्धित विभाग को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में प्रभावी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने के निर्देश प्रदत किये गये।

3. यातायात पुलिस द्वारा चिन्हित स्थानों पर सड़क के मध्य सिंगल कर्व स्टोन डिवाईडर बनाने, चिन्हित स्थलों पर डिवाईडर दुरूस्त करवाने, ब्लींकर एवं सिग्नल लाईटें लगवाने एवं दुरूस्त करवाने, स्लीप लाईनें बनवाने, पार्किंग लाईनिंग, जेब्रा लाईनिंग एवं यातायात सड़क संकेतकों को अंकित करवाने बाबत् चर्चा।

<u>निर्णय</u> :– यातायात पुलिस द्वारा चिन्हित स्थलों पर सडक के मध्य सिंगल कर्व स्टोन डिवाईडर बनाने, चिन्हित स्थलों पर डिवाईडर दुरुस्त करवाने, ब्लींकर एवं सिग्नल लाईटें लगवाने, स्लीप लाईने बनवाने, पार्किंग लाईनिंग, जेब्रा लाईनिंग एवं यातायात सडक संकेतकों को अंकित करने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबधित विभाग को निर्देशित किया गया कि जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्तानुसार कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. आई.टी.आई. चौराहे की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने पर चर्चा।

<u>निर्णय</u> :– आई.टी.आई. चौराहे पर लगे हुए विद्युत पोल/टेलिफोन विभाग की डी.पी. को हटाने हेतु क्रमशः जो.वि.वि.नि.लि. एवं नगर निगम, जोधपुर को निर्देशित करने का निर्णय पारित किया गया तथा चौराहों के सम्बन्ध में गठित समिति के अध्यक्ष, निदेशक अभियांत्रिकी, जोविप्रा को समिति के साथ मौका–निरीक्षण कर चौराहे के मध्य में हाईमास्ट लाईट स्थानान्तरित

करने एवं चौराहे के आकार को बढ़ाने हेतु सुझाव/रूपरेखा पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात द्वारा ओंकारमल सोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कमला नेहरू नगर प्रथम पुलिया, चौपासनी रोड़, जोधपुर के सामने बनने वाले टी-जंक्शन की तीनों सड़कों पर स्पीड ब्रेकर निर्माण करवाने बाबत्।

<u>निर्णय :-</u> बैठक में नगर निगम एवं सा.नि.वि., विभाग के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि पूर्व में निर्मित स्पीड ब्रेकर्स को विभागीय मापदण्डानुसार अवहेलना होने के कारण हटवाया गया था। अतः उक्त स्थल पर लाईनिंग को व्यवस्थित करने तथा थ्री.डी. स्पीड ब्रेकर बनाने हेतु सा.नि.वि., जोधपुर को निर्देशित किया गया।

6. जोधपुर-बाड़मेर हाई-वे (एन.एच. 25) पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू., जोधपुर द्वारा कार्य करवाने बाबत्।

<u>निर्णय :-</u>उक्त हाई-वे पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर को पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

7. स्टेट-रोड़ सेफ्टी काउंसिल की 18वीं बैठक में पारित निर्णय अनुसार राज्य में लोक परिवहन सेवा बसों के लिए उचित स्थान चयनित कर स्टेण्ड शीघ्र निर्धारित करने के निर्देश दिये गये है, इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों की एक समिति का गठन कर जोधपुर से विभिन्न रूटों पर संचालित होने वाली लोक-परिवहन बसों की वर्तमान स्थिति/रूट व उनके संचालन हेतु स्टेण्ड निर्धारण बाबत् चर्चा।

<u>निर्णय :-</u>पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के प्रस्ताव अनुसार राज्य में लोक परिवहन सेवा बसों के लिए उचित स्थान चयनित कर स्टेण्ड शीघ्र निर्धारित करने के कार्य हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-

1. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर – अध्यक्ष
2. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर – सदस्य सचिव
3. प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर – सदस्य
4. उपायुक्त मुख्यालय, नगर निगम, जोधपुर-उत्तर – सदस्य
5. उपायुक्त मुख्यालय, नगर निगम, जोधपुर-दक्षिण – सदस्य
6. अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण – सदस्य

उक्त समिति आगामी बैठक से पूर्व स्टेण्ड निर्धारण बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

8. एम्स रोड़ की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने एवं दुर्घटनाओं की आशंका को न्यूनतम करने के सम्बन्ध में चर्चा।

<u>निर्णय :-</u> अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर-दक्षिण एवं पुलिस उपायुक्त, यातायात ने अवगत करवाया कि उक्त मार्ग पर नवीन सड़क बन गई है तथा सड़क के मध्य डिवाईडर का कार्य भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त सडक मार्ग पर अवस्थित रोड़ लाईट्स को डिवाईडर के मध्य लगाये जाने हेतु निर्देशित किया।

एजेण्डा संख्या 3 :– कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोटः–

1. यातायात सुधार हेतु जनहित में गति सीमा के नये बोर्ड लगवाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :–</u> अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्तानुसार गति सीमा के नवीन बोर्ड अविलम्ब लगवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. यातायात सुधार हेतु जनहित में ऑटो रिक्शा सवारी/लोडिंग टैक्सी व कार/जीप टैक्सी के अधिसूचित स्टेण्ड, पार्किंग/नो–पार्किंग, नो–एन्ट्री (भारी वाहन प्रवेश निषेध) के स्थलों पर बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :–</u> जोधपुर शहर में सुव्यवस्थित एवं सुचारू यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थलों पर ऑटो–रिक्शा सवारी/लोडिंग टैक्सी, कार–जीप टैक्सी स्टेण्ड, पार्किंग/नो–पार्किंग, नो–एन्ट्री (भारी वाहन प्रवेश निषेध) स्थल एवं विभिन्न यातायात निर्देशों के बोर्ड लगाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है, वही विभाग उक्तानुसार दिशा सूचक बोर्ड/सूचना पट्ट अतिशीघ्र लगवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण गठित संयुक्त टीम द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :–</u> इस क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात (प्रशासन) जोधपुर, अधिशाषी अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जिला परिवहन अधिकारी (द्वितीय प्रवर्तन), जोधपुर, अधीशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला खण्ड (द्वितीय) तथा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड रा.उ.मा. जोधपुर की संयुक्त टीम का गठन किया हुआ है। उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा प्रत्येक प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान के लिए घटना स्थल का निरीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है तथा उक्त दुर्घटना स्थल के बारे में बताई गई कमियो को सम्बन्धित विभाग द्वारा दुरूस्त किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

4. अरोड़ा सर्किल से रातानाड़ा चौराहा जाने वाली सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन को रोकथाम हेतु हाईट गेज लगाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :–</u> गत बैठक में अरोडा सर्किल से रातानाडा चौराहा जाने वाली सडक पर भारी वाहनों के आवागमन की रोकथाम हेतु हाईट गेज जोधपुर

विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लगवाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

5. नहर पुलिया चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पर चौराहा विकसित कर यातायात सिग्नल लाईट्स लगवाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :– इस क्रम में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को उक्त स्थल पर अवस्थित विद्युत खम्भों को हटाये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है तथा चौराहों/सर्किल के आकार एवं यातायात सुगमता की दृष्टिकोण से तकनीकी सुधार हेतु गठित समिति द्वारा उक्त सर्किल का मौका निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण किया जा चुका है। निदेशक अभियांत्रिकी, जोविप्रा को आगामी बैठक में विस्तृत संयुक्त रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. भगत की कोठी स्थित पैट्रोलियम डिपो के बाहर अवैध रूप से सड़क के किनारे खड़े रहने वाले गैस टैंकरों पर यातायात पुलिस एवं नगर निगम, जोधपुर द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा।

निर्णय :–उक्त के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त पुलिस यातायात ने अवगत करवाया कि वर्तमान में उक्त स्थल पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त एवं सुचारू हुई है। अध्यक्ष महोदय ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर, उपायुक्त पुलिस यातायात एवं अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम–दक्षिण को नियमित रूप से कार्यवाही करने हेतु पाबंद किया।

7. निर्धारित वेंडिंग एवं नॉन–वेंडिंग जोन में निर्देशों की पालना बाबत्।

निर्णय :– आयुक्त नगर निगम जोधपुर (उतर/दक्षिण) को वेडिंग एवं नोन वेडिंग जोन के निर्धारण से सम्बन्धित अद्यतन सूची अनुसार अतिरिक्त आयुक्त पुलिस यातायात से प्रभावी समन्वय स्थापित कर इस आशय के बोर्ड स्थापित करवाकर नॉन–वेडिंग जोन में निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या 4 :– डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 371/2018 द्वारा श्री रवि लोढ़ा बनाम मुख्य सचिव व अन्य के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के सम्बन्ध में चर्चा।

निर्णय :– अध्यक्ष महोदय द्वारा जोधपुर शहर के कॉम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान ड्राफ्ट पर प्राप्त आपतियों/सुझावों के निस्तारण हेतु गठित समिति को पूर्व बैठक में एक माह में उक्त आपत्तियो/सुझावों को निस्तारित/समाहित करते हुए मोबिलिटी प्लान को अन्तिम रूप देने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः उक्त समिति को आगामी बैठक से पूर्व मोबिलिटी प्लान को अंतिम रूप देने हेतु निर्देशित किया गया तथा साथ ही जोधपुर शहर के विभिन्न दिशाओं में चार बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चुनाव करने हेतु निदेशक अभियान्त्रिकी जो.वि.प्रा. जोधपुर को पाबंद किया गया। इसी क्रम में नगर निगम जोधपुर–उत्तर/दक्षिण एवं जो.वि.प्रा., जोधपुर को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार निरन्तर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या 5 :— प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा बिन्दु :—

1. जोधपुर शहर में नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत निम्नांकित रूट संख्या में परिवर्तन एवं वृद्धिकरण प्रस्तावों की स्वीकृति बाबत् :—

- गत बैठक दिनांक 23/09/2021 में प्रस्ताव संख्या 5 के तहत जोधपुर शहर में नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत रूट संख्या में परिवर्तन एवं वृद्धिकरण प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

  <u>निर्णय :—</u> प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अवगत करवाया कि गत बैठक में पारित निर्णयों की पालना विभाग द्वारा की जा चुकी है।

- नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 का वृद्धिकरण मण्डलनाथ चौराहे से माणकलाव गांव वाया मण्डलनाथ फांटा, मयूराक्षी कॉलेज, मथानिया बाईपास, माणकलाव फांटा, माणकलाव बस स्टेण्ड एवं माणकलाव गांव तक वृद्धिकरण की स्वीकृति बाबत्।

  <u>निर्णय :—</u>अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 का वृद्धिकरण मण्डलनाथ चौराहे से माणकलाव गांव वाया मण्डलनाथ फांटा, मयूराक्षी कॉलेज, मथानिया बाईपास, माणकलाव फांटा एवं माणकलाव बस स्टेण्ड तक 6.9 कि.मी. का वृद्धिकरण करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

- नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 15 मण्डोर फिलिंग स्टेशन से न्यू बकरा मण्डी में डाईवर्जन गोकल जी की प्याऊ से आंगणवा चौराहा तक आने—जाने हेतु कुल 8 कि.मी. मार्ग (सुरपुरा बांध पर्यटक स्थल पर समस्याओं के समाधान हेतु) की वृद्धिकरण की स्वीकृति बाबत्।

  <u>निर्णय :—</u>अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 15, मण्डोर फिलिंग स्टेशन से न्यू बकरा मण्डी में डाईवर्जन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

- न्यू हाईकोर्ट से पुराना हाईकोर्ट भवन (कचहरी भवन) तक मार्ग खोलने तथा धरोहर उच्च न्यायालय परिसर से नये उच्च न्यायालय भवन तक बी.आर.टी.एस. की लॉ—फ्लोर सिटी बस सेवा संचालित किये जाने की स्वीकृति बाबत्।

  <u>निर्णय :—</u>इस क्रम में पुलिस उपायुक्त—यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर तथा प्रबन्धक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा जोधपुर को संयुक्त रूप से पुनः विस्तृत सर्वे कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मय स्पष्ट अनुशंषा/टिप्पणी आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि जन—सुविधा के दृष्टिकोण से युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जा सकें।

- न्यू हाईकोर्ट से मण्डोर चौराहा तक नवीन मार्ग की स्वीकृति बाबत्।

निर्णय :—इस क्रम में पुलिस उपायुक्त—यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर तथा प्रबन्धक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा जोधपुर को संयुक्त रूप से सर्वे कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि जन—सुविधा के दृष्टिकोण से युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जा सकें तथा साथ ही उक्त मार्ग पर छोटे नगरीय परिवहन सेवा के वाहन संचालन के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

- नगरीय परिवहन सेवा मार्ग 25 के वृद्धिकरण प्रस्ताव पर चर्चा।

  निर्णय :—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अवगत करवाया कि गत बैठक में उक्त मार्ग के वृद्धिकरण के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया जाकर विभाग द्वारा पालना की जा चुकी है।

- तनावड़ा एवं लोरडी पण्डित जी तक नगरीय परिवहन सेवा के वृद्धिकरण बाबत्।

  निर्णय :— इस क्रम में पुलिस उपायुक्त—यातायात एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अवगत करवाया कि ग्राम तनावड़ा तक पूर्व से ही परिवहन सेवा उपलब्ध है तथा वर्तमान में यात्रीभार नहीं होने के कारण उक्त मार्ग पर नगरीय परिवहन सेवा वृद्धिकरण का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण में उक्त मार्गो पर नगरीय परिवहन सेवा के संचालन के प्रस्ताव को सर्व—सम्मति से खारिज किया गया।

एजेण्डा संख्या 6 :— कार्यालय नगर निगम, जोधपुर उत्तर से प्राप्त एजेण्डा बिन्दु :—

1. भूखण्ड संख्या 145 द्वितीय पोलो ग्राउण्ड, मुख्य मण्डोर रोड़ के मुख्य द्वार पर स्थित सिटी बस स्टेण्ड शेड हटाने बाबत्।

निर्णय :— आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर—उत्तर मौका—निरीक्षण कर उक्त स्टैण्ड के निर्माण से संबंधित एजेंसी से समन्वय कर स्टैण्ड की वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता/प्रासंगिकता को मध्यनजर रखते हुयें नियमानुसार हटाने की कार्यवाही सम्पादित करें।

एजेण्डा संख्या 7 :— जोधपुर शहर में ऑटो—रिक्शा स्कोप निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :— अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात एवं मुख्यालय, जोधपुर एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं बैठक में चर्चा के अनुसार वर्तमान में शहर के विस्तारीकरण, नई आवासीय योजनाओं के विकसित होने, न्यू हाईकोर्ट, आई.आई.टी., एन.आई.एफ.टी., राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय इत्यादि अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थान विकसित एवं स्थापित होने, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण आमजन एवं शहरी आबादी को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 750 ऑटो—रिक्शा वाहनों का स्कोप बढ़ाने की अनुशंषा की गई है। अतः प्रकरण में प्राप्त अनुशंषा सहित संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं बैठक में विस्तृत विचार—विमर्श एवं चर्चा के आधार पर जोधपुर शहर में 750 ऑटो—रिक्शा स्कोप बढ़ाने का निर्णय सर्व—सम्मति से पारित किया गया।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पारदर्शिता के साथ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या 8 :– न्यू जोधाणा ऑटो–रिक्शा स्टेण्ड समिति द्वारा एम्स के गेट नम्बर 3 के पास ऑटो–रिक्शा स्टेण्ड स्वीकृत करने बाबत्।

निर्णय :–अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात एवं मुख्यालय ने अवगत करवाया कि उक्त स्थल पर ऑटो–रिक्शा स्टेण्ड पूर्व से ही निर्धारित है। अतः प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

एजेण्डा संख्या 9 :– जोधपुर शहर के मुख्य सरकारी अस्पतालों के बाहर या अंदर स्थल चिन्हित कर एम्बुलेन्स स्टेण्ड स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :–अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात एवं मुख्यालय तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि शहर के मुख्य सरकारी अस्पतालों में पूर्व से ही एम्बुलेंस स्टेण्ड स्वीकृत एवं संचालित है। अतः सरकारी अस्पतालों के बाहर नवीन एम्बुलेंस स्टेण्ड स्वीकृत करने से यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले कुप्रभावों के कारण उक्त प्रस्ताव को सर्व–सम्मति से खारिज करने का निर्णय पारित किया गया।

एजेण्डा संख्या 10 :– नये ऑटो–रिक्शा स्टेण्डों के निर्धारण एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :–इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने आयुक्त नगर निगम, जोधपुर उत्तर/दक्षिण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अति. पुलिस आयुक्त, यातायात व मुख्यालय एवं अधिशाषी अभियन्ता–मुख्यालय, जोविप्रा, जोधपुर की कमेटी गठित कर निर्देशित किया कि उक्त के सम्बन्ध में प्रकरण का विस्तृत परीक्षण एवं मौका–निरीक्षण कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मय दस्तावेजी साक्ष्यों के आगामी बैठक से पूर्व पेश करें।

एजेण्डा संख्या 11 :– बस ठहराव स्थल चिन्हित करने एवं प्राईवेट बस कैरिज एवं स्टेट कैरिज बसों के अस्थायी ठहराव स्थल चिन्हित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :–बस ठहराव स्थल चिन्हित करने एवं प्राईवेट बस कैरिज एवं स्टेट बस कैरिज बसों के अस्थायी ठहराव स्थल चिन्हित करने के सम्बन्ध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपायुक्त पुलिस यातायात, उपायुक्त (मुख्यालय) जोविप्रा, एवं उपायुक्त नगर निगम जोधपुर को निर्देशित किया गया कि संयुक्त रूप से मौका भ्रमण कर उपयुक्त स्थल चिन्हित करे तथा उक्त चिन्हित स्थलो तक नगरीय बस सेवा का भी विस्तार हो। यदि उक्त स्थल की भूमि राजकीय हो तो नगर निगम अथवा प्राधिकरण स्थल को विकसित कर निजी ऑपरेटर्स से नियत शुल्क वसूल कर संस्था की आय में वृद्धि भी कर सकती है।

निजी ऑपरेटर्स से बातचीत कर शहर में विभिन्न स्थलों पर बसों के एक से दो मिनिट ठहराव के सम्बन्ध में चर्चा कर उतार/चढाव स्थल चिन्हित करें ताकि यात्रियो के आवागमन में सुविधा हो तथा यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे । उक्त कार्य कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्या 12 :– राजस्थान विधानसभा सचिवालय से प्राप्त याचिका संख्या 6520, जोधपुर शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए आखलिया चौराहा, प्रतापनगर, सूरसागर थाना, घोड़ा घाटी, पन्नालाल गौशाला होते हुए एक नया रूट खुलवाने के

सम्बन्ध में गत बैठक में पारित निर्णय की अद्यतन स्थिति/प्रगति की समीक्षा।

निर्णय :— प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अवगत करवाया कि प्राप्त याचिका के सम्बन्ध में गत बैठक में पारित निर्णय की पालना की जा चुकी है। अतः प्रकरण उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

एजेण्डा संख्या 13 :— यातायात नियन्त्रण बोर्ड की गत बैठकों में चौराहों/सर्किल के आकार एवं यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से तकनीकी सुधार हेतु गठित समिति के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति/प्रगति पर चर्चा।

निर्णय :— उक्त कार्य हेतु पूर्व में गठित समिति के अध्यक्ष निदेशक अभियांत्रिकी, जोविप्रा ने अवगत करवाया कि समिति द्वारा शहर के विभिन्न स्थलों का मौका–निरीक्षण किया जा चुका है। निदेशक अभियांत्रिकी ने अवगत करवाया कि कुछ सर्किलों में आवश्यक सुधार किये गये है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति को निर्देशित किया गया कि शहर क्षेत्र के समस्त चौराहों/सर्किल का तकनीकी परीक्षण कर नवीन बनावट/नमूना नक्शा व समाधान सम्बन्धी संयुक्त विस्तृत रिपोर्ट में पेश करें तथा शहर के किसी एक चौराहे को चिन्हित करते हुए आदर्श चौराहे के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पेश करें। इसी के साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को सड़क सुरक्षा निधि से बजट प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर से मांग करने हेतु पाबन्द किया गया।

एजेण्डा संख्या 14 :— कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के पास छात्राओं की सुविधा हेतु स्थायी बस स्टॉप के निर्माण पर चर्चा।

निर्णय :— प्रकरण में आयुक्त, पुलिस यातायात एवं मुख्यालय, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं नगर निगम अधिकारियों ने परिवहन व्यवस्था एवं यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से उक्त बस स्टॉप को उपयुक्त नहीं पाया है। अतः प्रकरण में उक्त प्रस्ताव को सर्व–सम्मति से खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

एजेण्डा संख्या 15 :— जोधपुर शहर में सड़क उपलब्धता के आधार पर यातायात सुगमता हेतु नवीन साईकिल लेन विकसित करने पर चर्चा।

निर्णय :—इस सम्बन्ध में नहर चौराहा से मिल्क मैन कॉलोनी तथा झालामण्ड सर्कल तक साईकिल लेन विकसित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात एवं मुख्यालय, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर परीक्षण कर संयुक्त जांच रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांकः— टीसीबी/ 2022/ 160-177 **दिनांकः—**07-06.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर।
02. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर।
03. पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षण–ग्रामीण, जोधपुर।
04. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
05. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)।
06. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
07. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर।
08. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
09. अपर मुख्य अभियन्ता,जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
10. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
11. वरिष्ठ प्रबंधक रिको, जोधपुर।
12. अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी. (एन.एच.) जोधपुर।
13. कमाण्डर 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर।
14. निदेशक–अभियांत्रिकी/आयोजना/वित/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
15. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
16. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
18. प्रोग्रामर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यवाही विवरण को वेब–साईट पर अपलोड करने तथा संबधित अधिकारियों को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

दिनांक 20 मई, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे डॉ. इन्द्रजीत यादव, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति निम्न प्रकार है –

क्र.स.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	श्री विनीत कुमार बंसल, उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर।
3.	श्री राम नारायण बड़गुर्जर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
4.	श्री चैनसिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ।
5.	श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
6.	श्री गणपत पुनड़, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
7.	श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री रतनलाल, उप अधीक्षक, पुलिस, जोधपुर।
9.	श्रीमती अंजू चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–रा.मा., जोधपुर।
10.	श्री राकेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
11.	श्री एम.एस. चारण, अति. मुख्य अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि., जोधपुर।
12.	श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम, जोधपुर।
13.	श्री सुधीर माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
14.	श्री रामचन्द्र गरवां, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), जोधपुर।
15.	श्री राकेश कुमार गढ़वाल, अति. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर–दक्षिण।
16.	श्री जगदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
17.	श्री अनिल कुमार पूनियां, प्रभारी अधिकारी, टी.सी.बी., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर